न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी जवाहरलाल जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2020 मु.रे. दिनांक /09/2020

श्री मोड़ा पिता केसर सिंह जी जाति राजपूत निवासी परबती तहसील बड़ीसादड़ी

—प्रार्थी

।।बनाम।।

1. श्री भंवर सिंह पिता नारायण राजपूत निवासी परबती तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ
2. श्रीमति नानीबाई पत्नि शान्तीलालजाति मेघवाल निवासी परबती तहसील बड़ीसादड़ी
3. श्री शान्तीलाल पिता गंगाराम जाति मेघवाल निवासी परबती तहसील बड़ीसादड़ी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज0का0अधि0

निर्णय

उपस्थिति:— 1. श्री अनुराग औझा — अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री मुकेश जति — अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 की ओर से
3. श्री अनिल सोनावा—अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रा.पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 RTA के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा परबती तह0 बड़ीसादड़ी के आ0नं0 178 रकबा 7 बिस्वा, आ.ता.चा. यह प्रार्थी के पिता केसर सिंह के जमाने से चली आ रही है। केसर सिंह जी की जमीन भैरू जी से मिली थी और यह प्रार्थी की प्रतिक संपति है, इस आ0नं0 178 आ0चा0 के साथ जो कृषि भूमियां जिसके आ0नं0 99 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा व आ0नं0 179/1 रकबा 6 बिस्वा, आ0नं0 179/2 रकबा 2 बीघा यह सभी आराजीयात 4 नम्बर से 178 से सिंचित होती है, उपरोक्त वर्णित आराजीयात् से सिचित होती है, जिसके पड़ोस इस प्रकार है, पूर्व में बाबरू जी मेघवाल की जमीन जो वारिसान रतनलाल, नानूराम के कब्जे मे है, पश्चिम मे आम रास्ता, उतर मे प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात् व दक्षिण में आम रास्ता इन चारो पडोसो की बीच की भूमि पर सिंचाई कर अपनी आराजीयात् पर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी के दादा भैरू सिंह से यह भूमि प्रार्थी के पिता केसर सिंह जी को मिली थी तथा केसर सिह से विरासत से यह कृषि भूमि प्रार्थी के पास चली आ रही है। और उसी अनुसार प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।प्रार्थी ने बाप दादाओ के जमाने से उपरोक्त वर्णित आराजीयात की सिचाई विवादीत आ0चा0 नं0 178 से प्रार्थी सिंचाई करता चला आ रहा है और अपनी आराजीयात पर खडी फसल की सिंचाई कर उक्त चाही नम्बर 178 से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनढ है तथा काफी वृद्ध है, उसका नाजायज फायदाद उठाते हुऐ गलत तरीके से आराजी नं0 178 बिना किसी अधिकार के विपक्षीगण अपने नाम पर खातेदारी मे दर्ज करवा ली है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी।विवादीत आराजीयात पर आ0चा0 से सिंचाई करने हेतु कुऐ पर ढाणा बना हुआ है व उस पर प्रार्थी का नाम भी खुदा हुआ है व धोरे बने हुऐ है जो कि आराजीयात पर सिंचाई के लिऐ जाते है। फिर भी प्रार्थी को जबरन बेदखल करना चाहता है और आ0चा0 को बूर कर नष्ट करना चाहता है आ0चा0 में प्रार्थी के हिस्से से इन्कार कर रहे है जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। कि अभी हाल ही मे नया सेटलमेंट हुआ है और पुराने नम्बर की जगह न्ऐ नम्बर आये है जो इस प्रकार है आ0नं0 178 का नया नम्बर 300 रकबा 0.0400 हे. और आराजी नं0 179/1 का नया नम्बर 301 रकबा 0.0700 हे. ल0 2 रूपया 31 पैसा. आ0नं0 179/2 का नया नम्बर आ0नं0 302 रकबा 0.04300 हे0 लगानी 14 रूपया 19 पैसे है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो प्रार्थी पूर्व में चली आ रही उपरोक्त वर्णित आ0चा0 से पानी पिलाता चला आ रहा है से विपक्षीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल करना चाह रहे है। आ0नं0 178 जिसे नऐ नम्बर 300 से भी प्रार्थी बेदखल कर उस आ.चा. को बुरना चाह रहे है ऐसा करने का विपक्षीगणों को कोई

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

अधिकार नही है। इसलिऐ प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करा कर विपक्षीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है।प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे वे आ.चाह को नष्ट नही करे और किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे न करावे मौके व रिकार्ड की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे । इस हेतु पांबद किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। विपक्षी न. 1 की ओर से श्री मुकेश जति अधिवक्ता ने पावर पेश किया व विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश कर जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षी संख्या 01 ने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्ड़न किया कि प्रार्थी ने मनगढ़त, मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड के विपरित है। विवादित आराजी नं. 178 आ0चा0 से प्रार्थी कभी भी बाप दादाओं के समय से सिंचाई नही करता चला रहा है। जब प्रार्थी का उक्त आराजी नं. 178 आ0चा0 में कोई हक व अधिकार ही नही है तो फिर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी ने मनगढ़त तथ्य अंकित किये है जो विपक्षीगण को कतई स्वीकार नही है। चुंकि यह भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व की होकर खातेदारी की है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 का विपक्षी कमांक ने इस प्रकार दिया कि साबिक आराजी चाह नं. 178 रकबा 0–04 विस्वा आ0चा0 भूमि के भू प्रबंधक (मिलान क्षैत्रफल) के अनुसार नये आराजी नं. 300 रकबा 0.0400 है. गे.मु.चाह बने है यह भूमि पूर्व में खातेदार श्री हरिराम, नानुराम, प्रभुलाल पिता कजोड़ लोहार साकीन परबती के नाम पर दर्ज थी, जिनमे से खातेदार श्री हरिराम पिता कजोड़ का 1/3 हिस्से की भूमि विपक्षी सं. 1 भंवरसिंह ने दिनांक 01/07/2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिससे राजस्व अभिलेख में विपक्षी सं. 1 के नाम पर नामान्तरण सं0 358 दिनांक 21/10/2002 से उक्त भूमि बेचान से दर्ज हुई। विपक्षी सं. 1 वक्त खरीद से उक्त आराजी मे से 1/3 हिस्से की भूमि का निर्विघ्न रूप से काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। जब प्रार्थी का इस आराजी चाह नं. 178 से कोई संबंध ही नही है तो विपक्षी द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का प्रश्न नही होता है। प्रार्थी ने गलत मनगढ़त तथ्यों को बढ़ा–चढ़ा कर प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त होने योग्य है। तथा विपक्षी सं0 1 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि विपक्षी के नाम पर राजस्व अभिलेख में शामलाती दर्ज है। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। विपक्षी अपनी भूमि का उपयोग – उपभोग ईच्छानुसार करने के लिये स्वतन्त्र है। प्रार्थी का न तो प्राईमाफेसी केस है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षी सं0 1 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्ध प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नही करा सकता है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। प्रार्थी ने मनगढ़त तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। विपक्षी सं0 1 ने काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया। ओर कथन किया यह कि मौजा परबती पटवार सर्कल अमीरामा में नये आराजी खसरा नं. 300 रकबा 0.0400 है0 गे.मु.चा. जिसके साबिक आराजी खसरा नं. 178 रकबा 0–04 विस्वा आ0चा0 स्थित है उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं0 1 के नाम पर शामलाती खातेदारी में दर्ज है। यह आराजी चाह नं. 178 रकबा 0–04 विस्वा भूमि पूर्व में खातेदारी श्री हरिराम, नानुराम, प्रभुलाल पिता कजोड़ लोहार साकीन परबती के नाम दर्ज थी। जिने से खातेदार हरिराम पिता कजोड़ का 1/3 हिस्से की भूमि विपक्षी सं01 भंवरसिंह ने दिनांक 01/07/2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिरसे राजस्व अभिलेख में विपक्षी सं. 1 के नाम पर नामान्तरण सं0 358 दिनांक 21/10/2002 से उक्त भूमि बेचान से दर्ज हुई। विपक्षी सं. 1 वक्त खरीद से उक्त आराजी मे से 1/3 हिस्से की भूमि का निर्विघ्न रूप से काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। इस आराजी चाह नं. 178 में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। फिर भी प्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर विपक्षी द्वारा खरीद की गई आराजी चाह की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से अपना अधिकार जमाना चाहता है और विपक्षी को बेदखल करने पर उतारू है इसलिये प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वो विपक्षी की स्वामित्व की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं. 300 की भूमि में किसी

सहायक कलेक्टर
बूंदीसादड़ी

प्रकार से दखल अंदाजी नही करे ना करावे । ओर ना ही उक्त आराजी पर अवैध कब्जा न तो स्वयं करे ना किसी से करावे विपक्षी को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। तथा विपक्षी को किसी तरह से बेदखल नही करे ना करावे। कि विपक्षी सं0 1 रिकोडेर्ड खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमि का स्वामी है जबकी प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई स्वत्व नही है यदि ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर विपक्षी को खरीद शुदा राजस्व अभिलेख में दर्ज शुदा भूमि से बेदखल कर देगे तो उसकी पूर्ति किसी भी तरह से सम्भव नही हो जायेगी। विपक्षी अपने हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे। इसलिये विपक्षी द्वारा अपने हक व अधिकारी की भूमि की रक्षा के लिये काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। कि विपक्षी सं0 1 का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी विपक्षी सं0 1 के पक्ष में है। विपक्षी वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थी बिना किसी हक व अधिकार के विपक्षी की भूमि पर अवैध कब्जा कर विपक्षी को बेदखल कर देगा तो विपक्षी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से सम्भव नही हो पायेगी। इसलिये प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थी को मूलवाद के निरस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वे विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं. 300 रकबा 0.0400है0 गे.मु.चाह की भूमि मे से विपक्षी की खरीद शुदा 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नही करे ना करावे और ना ही उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करे ना करावे। विपक्षी को उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने देवे। ताईद में शपथ पत्र व फर्द के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र का पृथक से जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2020 को पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–यह कि विपक्षी संख्या 01 व 02 ने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्ड़न किया कि प्रार्थी ने मनगढ़त, मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड के विपरित है। विवादित आराजी नं. 178 आ0चा0 से प्रार्थी कभी भी बाप दादाओं के समय से सिंचाई नही करता चला रहा है। जब प्रार्थी का उक्त आराजी नं. 178 आ0चा0 में कोई हक व अधिकार ही नही है तो फिर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रशन ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी ने मनगढ़त तथ्य अंकित किये है जो विपक्षीगण को कतई स्वीकार नही है। चुंकि यह भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व की होकर खातेदारी की है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 का विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने इस प्रकार जवाब दिया कि – साबिक आराजी चाह नं. 178 रकबा 0–04 विस्वा आ0चा0 भूमि के भू – प्रबंधक (मिलान क्षैत्रफल) के अनुसार नये आराजी नं. 300 रकबा 0.0400है. गे.मु.चाह बने है यह भूमि पूर्व में खातेदार श्री हरिराम, नानुराम, प्रभुलाल पिता कजोड़ लोहार साकीन परबती के नाम पर दर्ज थी, जिनमें से खातेदार श्री प्रभूलाल पिता कजोड़ का 1/3 हिस्से की भूमि विपक्षी सं0 2 श्रीमति नानीबाई ने दिनांक 06/08/2010 को तथा विपक्षी सं. 03 शान्तिलाल ने खातेदार श्री नानुराम पिता कजोड़ जी लौहार का 1/3 हिस्से की भूमि को दिनांक 16.06.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिससे राजस्व अभिलेख में विपक्षीसं0 02 के नाम पर नामान्तरण संख्या 466 दिनांक 20/11/2010 से एवं विपक्षीसं. 03 के नाम पर नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 19/12/2006 से उक्त भूमि बेचान से दर्ज हुई। विपक्षीगण वक्त खरीद से उक्त आराजी का निर्विघ्न रूप से काबिज होकर उपयोग – उपभोग करते चले आ रहे है। जब प्रार्थी का इस आराजी चाह नं. 178 से कोई सम्बंध ही नही है तो विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का प्रश्न नही होता है। प्रार्थी ने गलत एवं मनगढ़त तथ्यों को बढ़ा – चढ़ा कर प्रार्थना पेश किया जो निरस्त होने योग्य है। तथा विपक्षी सं0 2 व 3 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में शामलाती दर्ज है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। विपक्षीगण अपनी भूमि का उपयोग – उपभोग ईच्छानुसार करने के लिये स्वतन्त्र है। प्रार्थी का न तो प्राईमाफेसी केस है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षी सं0 2 व 3 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्ध प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नही करा सकता है प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। प्रार्थी ने मनगढ़त तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। विपक्षी सं0 1 व 2 ने काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है :–मौजा परबती पटवार सर्कल अमीरामा में नये आराजी खसरा नं. 300 रकबा 0.0400 है0 गे.मु.चा. जिसके साबिक आराजी खसरा नं. 178 रकबा 0–04 विस्वा आ0चा0 स्थित है उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर संयुक्त 2/3

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हिस्से की भूमि राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज रिकार्ड की स्थित है। यह आराजी चाह नं. 178 रकबा 0–04 बिस्वा भूमि पूर्व में खातेदारी श्री हरिराम, नानुराम, प्रभुलाल पिता कजोड़ लोहार साकीन परबती के नाम दर्ज थी। जिनमें से खातेदार श्री प्रभूलाल पिता कजोड़ का 1/3 हिस्से की भूमि विपक्षी सं0 2 श्रीमति नानीबाई ने दिनांक 06/08/2010 को तथा विपक्षी सं. 03 शान्तिलाल ने खातेदार श्री नानुराम पिता कजोड़ जी लौहार का 1/3 हिस्से की भूमि को दिनांक 16.06.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिससे राजस्व अभिलेख में विपक्षी सं0 02 के नाम पर नामान्तरण संख्या 466 दिनांक 20/11/2010 से एवं विपक्षी सं. 03 के नाम पर नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 19/12/2006 से उक्त भूमि बेचान से दर्ज हुई। विपक्षीगण वक्त खरीद से उक्त आराजी का निर्विघ्न रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।इस आराजी चाह नं. 178 में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। फिर भी प्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर विपक्षीगण द्वारा खरीद की गई आराजी चाह की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से अपना अधिकार जमाना चाहता है और विपक्षीगण को बेदखल करने पर उतारू है इसलिये प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। कि वो विपक्षीगण की स्वामित्व की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं. 300 की भूमि में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नही करे ना करावे ओर ना ही उक्त आराजी पर अवैध कब्जा न तो स्वयं करे ना किसी से करावे विपक्षीगण को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग – उपभोग करने देवे। तथा विपक्षीगण को किसी तरह से बेदखल नही करे ना करावे। कि विपक्षी सं. 2 व 3 जाति के मेघवाल होकर अनुसूचित जाति के सदस्य होकर गरीब कृषक है जबकी प्रार्थी जाति राजपुत होकर स्वर्ण वर्ग के है जो अपने बाहुबल के आधार पर विपक्षीगण की आराजी को गलत तरीके से परेशान करके हडप कर उक्त आराजी पर अवैध कब्जा कर विपक्षीगण को बेदखल करने पर उतारू है इसलिये प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।कि विपक्षीगण रिकोडेर्ड खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमि के स्वामी है जबकी प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई स्वत्व नही है। यदि ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर विपक्षीगण को खरीद शुदा राजस्व अभिलेख में दर्ज शुदा भूमि से बेदखल कर देगे तो उसकी पूर्ति किसी भी तरह से सम्भव नही हो जायेगी। विपक्षीगण अपने हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे। इसलिये विपक्षीगण द्वारा अपने हक व अधिकारी की भूमि की रक्षा के लिये काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। कि विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी बिना किसी हक व अधिकार के विपक्षीगण की भूमि पर अवैध कब्जा कर विपक्षीगण को बेदखल कर देगा तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से सम्भव नही हो पायेगी। इसलिये प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थी को मूलवाद के निरस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वे विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं. 300 रकबा 0.0400है0 गे.मु.चाह की भूमि मे प्रार्थी किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नही करे ना करावे और ना ही उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करे ना करावे। विपक्षीगण को उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने देवे। ताईद में शपथ पत्र व फर्द के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर गुणावगुण बहस कर दिनांक 02/07/2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया गया कि वे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी के काउन्टर प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रार्थी का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी नं. 178 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि प्रार्थी की आराजी नं. 99, 179/1, 179/2 सिंचित होती है। जो केसरसिंह जी के जमाने से प्रार्थी के कब्जे में निरन्तर चली आ रही है। विपक्षीगण का इस आराजी से कोई तालुक संबंध नहीं हैं । प्रार्थी अनपढ होकर काफी वृद्ध है बिना किसी कारण के नाजायज फायदा उठाते हुए गलत तरीके से आराजी नं. 178 जिसके नये नं. 300 अपने नाम करवा ली जिसका कानूनी अधिकार नहीं हैं विपक्षीगण उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है । तो विपक्षीगण को बेदखल नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न नहीं होता है । विपक्षीगण का प्रथम दृष्टिया प्रकरण नहीं है । मौके पर काबिज नहीं है । सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अपूरणीय क्षति भी विपक्षी के बजाय प्रार्थी को होगी जब मौके पर विपक्षीगण का कोई आधिपत्य ही नहीं है । तो उन्हें बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं होता है। अतः विपक्षीगण को काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदारी की आराजी नं. 178 रकाब 0.04 बिस्वा जिसके नये नं. 300 रकबा 0.04 हैक्ट. भूमि नाजायज रूप से विपक्षीगणों अपने नाम करवाली जिसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपने पिता केसरसिंह के जमाने से लगातार वादग्रस्त आराजीयात काबिज है विपक्षीगण का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है। जिससे विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को खूर्द--बुर्द नहीं करे । मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । इसके समर्थन में निम्न न्यायायिक दृष्टान्त पेश कियें
RBJ 2005 Page 89
RBJ (6) 1999 Page 414
RBJ (12) 2005 Page 239
इसके विपरीत विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि विवादित आराजी नं. 178 जिसके नये नम्बर 300 रकबा 0.04 हैक्ट. भूमि गै0मु0चा0 की भूमि विपक्षीगण ने जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र से फरदन–फरदन जिसका नामान्तरण भी विपभीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। विपक्षी नं. 2 व 3 अनुसूचित जाति के व्यक्ति होकर मेघवाल जाति के है। जबकि प्रार्थी स्वर्ण जाति का होकर राजपूत है। प्रार्थी विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकता चूंकि वर्तमान में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की जा सकती । धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि पर स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति को हक व अधिकार नहीं दिये जा सकते जिससे प्रार्थी विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाया जाकर प्रार्थी को पाबंद फरमाया जावे कि वे विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा न करे न करावे । उक्त भूमि पर कोई दखलदांजी न करे न करावे । उपयोग करने देवे ।
इसके समर्थन में निम्न न्यायायिक दृष्टान्त पेश किये ।
2016 (1) RRT 159
2006 -07 (SUPP.) RRT 509
2006-07 (SUPP.) RRT 669

हमने बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संवत 2027 से 2030 की खाता संख्या 92 में खातेदार मोडा पिता केसरसिंह ने आराजी नं. 178 रकबा 0.04 बिस्वा आ.चा. की भूमि को नामान्तरण संख्या 149 दिनांक 10.11.1970 से बिकाव से विक्रय की हुई है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त विपक्षीगणों के 1, 3, 1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थी चाह की आराजी नं. 178 जिसके नये नम्बर 300 रकबा 0.04 हैक्ट. भूमि के संबंध में खातेदारी व कब्जे के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है। जिससे कि प्रार्थी की खातेदारी सिद्ध हो सके । वर्तमान में प्रार्थी रिकोर्ड के विपरीत होने से प्रथम दृष्टिया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि पर स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं दिया जा सकते है। समग्र विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है अतः सारहीन होने से खारिज किया जाता है । विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा परबती की आराजी नं. 300 रकबा 0.04 हैक्ट. भूमि पर प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से पाबंद किया जाता है कि विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करे न करावे । उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करे न करावे । विपक्षीगण को उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के करने देवे ।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे ।
निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया ।

जवाहर लाल जैन (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी